निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 35

6 भाद्र 1941 (श0)
पटना, बुधवार,
28 अगस्त 2019 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-5
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	6-6
पूरक	---
पूरक-क	7-7

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त 2019

सं० 01/स्था०राज०–120/2015–1296––गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत कार्यरत बिहार ईख सेवा के वरीयतम पदाधिकारी श्री मुकेश कुमार वर्मा, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को तात्कालिक प्रभाव से अपने पूर्व आवंटित कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना के रिक्त पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना सभी विषयों से संबंधित संचिकाओं को संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना को उपस्थापित करेंगे।

3. एतद् संबधी पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

5. प्रस्ताव पर मा0 मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
डा0 जवाहर लाल सिन्हा, संयुक्त सचिव।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2019

सं0 1/वि.1–33/2017/**1023**––विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक– 488, दिनांक 05.04.2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा श्री अरविन्द महाजन, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, छपरा संग्रहालय, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त क्षेत्रीय उपनिदेशक, संग्रहालय, पटना का प्रभार दिनांक 01.04.2019 से 30.05.2019 तक के लिए अवधि विस्तारित किया गया था। उक्त अवधि की समाप्ति पर श्री महाजन ने क्षेत्रीय उप निदेशक, संग्रहालय, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया, किन्तु विभाग द्वारा अद्यावधि उन्हें विरमित नहीं किया गया है तथा वर्तमान में श्री महाजन द्वारा क्षेत्रीय उपनिदेशक, संग्रहालय, पटना के पदीय दायित्त्व का लगातार निर्वहन किया जा रहा है। अतः दिनांक 31.05.2019 से श्री महाजन की क्षेत्रीय उप निदेशक, संग्रहालय, पटना का अतिरिक्त प्रभार जारी रखते हुए, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 03 (तीन) माह अर्थात 12.11.2019 तक के लिए क्षेत्रीय उप निदेशक, संग्रहालय, पटना का अतिरिक्त प्रभार यथावत बनाया रखा जाता है।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
तारानन्द महतो वियोगी, उप–सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)

अधिसूचनाएं

9 अगस्त 2019

सं० म०/बंदो० – 18/2019–1063/मत्स्य––विभागीय परिक्षेत्रों के उप मत्स्य निदेशकों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ सुखाड़ एवं विलम्बित बंदोबस्ती के बिन्दु पर विचारोंपरांत यह बात स्पष्ट हुई है कि संपन्न लोक सभा निर्वाचन–2019 में संबंधित जिलों के जिला मत्स्य पदाधिकारियों को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति तथा सुखाड़ एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के आंतरिक कतिपय विवादों के मद्देनजर जिलों में वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित जलकरों की बंदोबस्ती अभीतक नहीं हो सकी है। चूँकि बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा 7(vii) के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समिति को जलकरों की बंदोबस्ती हेतु आदेश 15 जून के पूर्व निर्गत किये जाने का प्रावधान है किन्तु 15 जून के बाद बंदोबस्ती का ऐसा आदेश समाहर्त्ता के अनुमोदनोपरांत हीं निर्गत किया जा सकेगा। दोनों अंकित तिथि बीत चूकी और बंदोबस्ती की कार्रवाई में वैधानिक कठिनाई परिलक्षित हो रही है।

सरकार के संज्ञान में बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही है। उपर्युक्त व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने हेतु सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरांत बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा (19) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंदोबस्ती आदेश निर्गत की निर्धारित अवधि को क्षांत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

i. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2007, 2010 एवं 2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समिति को जलकरों की बंदोबस्ती हेतु **आदेश 30 अगस्त, 2019 के पूर्व निर्गत किया जाएगा, किन्तु 30 अगस्त, 2019 के बाद 20 सितम्बर** तक बंदोबस्ती हेतु ऐसा आदेश समाहर्त्ता के अनुमोदनोंपरांत निर्गत किया जा सकेगा। इस हद तक वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित जलकरों की बंदोबस्ती हेतु आदेश निर्गमन की अवधि को क्षांत किया जाता है।

ii. बंदोबस्ती की विहित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् जिन मामलों में विलम्बित शिकारमाही का परवाना निर्गत की जाएगी, वैसे मामलों में परवाना निर्गत करने के पूर्व संबंधित समिति से इस आशय का शपथ–पत्र ले लिया जाएगा, कि पहली जुलाई, 2019 के प्रभाव से समिति देय राजस्व देने को तैयार है।

iii. यह सुविधा केवल निबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को चालू वित्तीय वर्ष में हीं अनुमान्य होगी।

iv. यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू किया जाता है।

विश्वासभाजन,
मधुरानी ठाकुर, अपर सचिव।

———————

14 अगस्त 2019

सं0 1/ स्था0 (2) 02/2019–2520––डॉ0 प्रियम्बदा, नवनियुक्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बेलागंज, गया के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक–27.03.19 के माध्यम से अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी के कारण कार्य करने में असमर्थ रहने की स्थिति में इस्तीफा समर्पित किया गया। मामले की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त डॉ0 प्रियम्बदा के द्वारा दिया गया इस्तीफा स्वीकार योग्य पाया गया।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में डॉ0 प्रियम्बदा, नवनियुक्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बेलागंज, गया का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता 'प्रेम', अवर सचिव।

———————

स्वास्थ्य विभाग

———————

अधिसूचना

19 अगस्त 2019

सं0 16/ए.1–16/2019–1083 (आ0चि0)––डा० जितेन्द्र प्रसाद, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयागाँव, सोनपुर, सारण के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर सिविल सर्जन, सारण (छपरा) एवं क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल छपरा के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही, भंडार के औषधियों का गलत उपयोग, आदेश की अवहेलना तथा कार्य में स्वेच्छाचारित का दोषी पाये जाने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत डा० जितेन्द्र प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में डा० प्रसाद का मुख्यालय, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार का कार्यालय रहेगा।
3. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –10 के तहत इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
4. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अरविन्दर सिंह, विशेष सचिव।

VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 5th August 2019

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**04/2019-2945---**WHEREAS, It is alleged that **Sri Alok Kumar the then Special Land Acquisition Officer, Jamui (General Administration Department, Bihar), S/o Late Dr. Ramadhar Prasad Singh, Address :- Mohalla-Sheikhpura, Riding Road (Near Sanjivini Hospital), Post - B.V. College, P.S.- Airport, District - Patna,** while holding the post of **Sri Alok Kumar the then Special Land Acquisition Officer, Jamui (General Administration Department, Bihar)** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. **Case No. 06/2017 dated 18-01-2017.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Alok Kumar the then Special Land Acquisition Officer, Jamui (General Administration Department, Bihar),** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible, *Additional Chief Secretary .*

The 5th August 2019

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**05/2019-2946---**WHEREAS, It is alleged that **Sri Ram Naresh Rai the then Member, Panchayat Samiti, Manua Gram Pnchayat, Block - Hajipur at Present Pax Chairman of Manwa Panchayat, Hajipur, District - Vaishali, S/o Gena Rai, Vill. - Manua, P.S. - Hajipur, District - Vaishali,** while holding the post of **Sri Ram Naresh Rai the then Member, Panchayat Samiti, Manua Gram Pnchayat, Block - Hajipur at Present Pax Chairman of Manwa Panchayat, Hajipur, District - Vaishali** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. **Case No. 136/2016 dated 19-12-2016.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Ram Naresh Rai the then Member, Panchayat Samiti, Manua Gram Pnchayat, Block - Hajipur at Present Pax Chairman of Manwa Panchayat, Hajipur, District - Vaishali,** who has accumulated

properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible, *Additional Chief Secretary .*

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त 2019

सं0 ग्रा0वि0-14(द0)सम0-03/2015-436974--श्री कुमार अश्विनी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूसा, समस्तीपुर के विरूद्ध प्रखण्ड प्रमुख पूसा के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु दिनांक- 23.01.2015 को निर्धारित बैठक में उपस्थित नहीं होने, जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने, तथ्य को छुपाने, बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा 44(3) में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लघंन करने, त्रुटिपूर्ण तथ्य विवरणी भेजने संबंधी आरोपों पर जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-1573 दिनांक 06.04.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 229761 दिनांक 29.04.2015 द्वारा श्री अश्विनी से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

उक्त संदर्भ श्री कुमार अश्विनी, के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इन्हें अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से तथ्य विवरणी जिला पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाना चाहिए था एवं जिला पदाधिकारी के स्तर से तथ्य विवरणी अनुमोदनोपरांत प्रतिशपथ पत्र इनके द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया । इस प्रकार इनके द्वारा कर्तव्य में चूक हुई।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत उक्त चूक के लिए श्री कुमार अश्विनी को 'चेतावनी' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

इसकी प्रविष्टि उनके सेवा पुस्त में की जाय ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक **कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।**

आदेश से,
राधा किशोर झा, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23–571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग–9–ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 861--I, DR Gautam Ram S/O Rudal Ram Vill.-Dubba, P.O.+P.S. Darauli, Dist. Siwan, Bihar vide Aiifidavit No. 10735 dated 21.06.2019 shall be known as Dr. Gautam Garg for all future purposes from today.

Dr. Gautam Ram.

No. 869--I, Ramchandra Prasad, S/o Late Sagar Mal Banka, R/o-Sutapatty, Domapokhar Lane, Muzaffarpur P.S.-Town, Distt-Muzaffarpur, Bihar, declare vide Affidavit no. 06/Ax2 dated 09.10.2018, that now onwards, I Shall be Known as Ramchandra Banka for all future purposes.

Ramchandra Prasad.

सं0 878--मैं, अमरेन्द्र उर्फ अमरेन्द्र कुमार, पिता-श्री बैदेही शरण प्रसाद, पता- प्लॉट नं0-86, रोड नं0-2, राजेन्द्र नगर, पो0-राजेन्द्र नगर, थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना । जन्म तिथि-30.05.1968 अमरेन्द्र कुमार के नाम से जाना जाऊंगा। शपथ-पत्र संख्या-10566 दिनांक 04.06.19

अमरेन्द्र।

No. 878---I, Amrendra @ Amrendra Kumar S/o Sri Baidehi Sharan Prasad, R/o Plot no. 86, Road no. 2, Rajendra Nagar, P.O.-Rajendra Nagar, P.S.-Kadam Kuan, Distt-Patna, D.O.B. 30.05.1968 shall be known as Amrendra Kumar vide Affidavit No. 10566 dated 04.06.19

Amrendra.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23–571+10–डी0टी0पी0।
Website : http : / / egazette . bih . nic . in

बिहार गजट
का
पूरक (अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 ग्रा0वि0-14 (ति0) मु0-03/2018--432906/ग्रा0वि0
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प
16 जुलाई 2019

श्री रत्नेश्वर कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पारू, मुजफ्फरपुर के सरकारी आवास से दिनांक 15.01.2018 को कुख्यात फरार अपराधी तुलसी राय को नशे की हालत में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-32 की उपधारा (3) के तहत् अपराध कारित करने के लिए उत्तरदायी होने एवं उक्त अधिनियम की धारा- 37 की उपधारा (घ) एवं धारा-38 की उपधारा-(2) के तहत् नजदीकी उत्पाद अथवा पुलिस पदाधिकारी को सूचित नहीं करने जैसे गंभीर आरोप के लिए श्री कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के पत्रांक-818 दिनांक 06.03.2018 द्वारा विहित प्रपत्र में प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(क) के तहत श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना सं0-360183 दिनांक 15.03.2018 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया तथा इनका मुख्यालय ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।

श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावदेन दिनांक 11.06.2019 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान हेतु निलंबन मुख्यालय ''ग्रामीण विकास विभाग'' के स्थान पर ''प्रखंड कार्यालय, फुलवारी शरीफ, पटना'' किया जाता है।

विभागीय संकल्प संख्या 383692 दिनांक 09.08.2018 की शेष शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

आदेश से,
राधा किशोर झा, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23–571+10-डी0टी0पी0।
Website : http://egazette.bih.nic.in